

13.11.18

पत्रावली चेझा इले वकील प्रार्थी उपर) प्रार्थी का  
पत्रावली के धारा 25(क) वर का अधिनियम का  
आंशिक स्वीकार किया जाता है किन्तु निम्न  
पत्रावली से संबंधित कसबा प्रार्थी शारीर पत्रावली  
हिया गया। पत्रावली केवल सुमार एकर गन्ध  
स कर हा व दायीर उपर हा।

उपखण्ड अधिनियम  
उदयपुरवादी (क)